शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक: 222/2025/RSK/मूल्यांकन/5वी,8वीं परीक्षा भोपाल, दिनांक04-09-2025

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिले म.प्र.।

विषय- कक्षा 5 एवं 8 के परीक्षा परिणाम की घोषणा उपरांत अंकसूचियों में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के संशोधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।

संदर्भ- 1 राशिके का पत्र क्र./राशिके/ मूल्यांकन/ वार्षिक मूल्यांकन/ 439,भोपाल दिनांक 04.02.2025
2 राशिके का पत्र क्र./I/236874/मूल्यांकन/ कक्षा-5,8/2025,भोपाल दिनांक 16.04.2025
3 राशिके का पत्र क्र./I/243884/ वार्षिक परीक्षा/ कक्षा-5,8/2025,भोपाल दिनांक 25.04.2025
4 राशिके का पत्र क्र./I/269611/ पुन: परीक्षा/ कक्षा-5,8/2025,भोपाल दिनांक 21.05.2025

विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 02.03.2019 अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रवृत्त संशोधन के परिपालन में प्रत्येक अकादमिक सत्र के अंत में नियमित वार्षिक परीक्षा आयोजित किए जाने एवं इस परीक्षा में निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को पुन: परीक्षा का अवसर दिए जाने एवं पुन: परीक्षा में भी निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को उसी कक्षा में रोके जाने (डिटेंशन पॉलिसी) का प्रावधान है।

परीक्षा आयोजन संबंधी विभिन्न गतिविधियां यथा-छात्र पंजीयन, सत्यापन, परीक्षा केन्द्र व परीक्षा केन्द्राध्यक्ष निर्धारण, परीक्षा के दौरान छात्रों की उपस्थिति दर्ज करना, मूल्यांकन केन्द्र व केन्द्राध्यक्ष निर्धारण, छात्रवार- विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि, परीक्षा परिणाम तैयार करना आदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म www.rskmp.in (परीक्षा पोर्टल) के माध्यम से जिले द्वारा की गई प्रविष्टि के आधार पर संपादित की जाती हैं।

विगत सत्रों में यह देखने में आया है कि शिक्षक/जिले में कार्यरत अमले द्वारा परीक्षा पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां दर्ज कर दी जाती हैं व इन त्रुटियों के सुधार हेतु जिले के अमले द्वारा संबंधित छात्र, पालक/अविभावक, शाला शिक्षकों को राज्य शिक्षा केन्द्र भेज दिया जाता है।

उल्लेखनीय है कि वार्षिक (मुख्य) परीक्षा सत्र 2024-25 के परिणाम की घोषणा पश्चात् परीक्षा पोर्टल के माध्यम से छात्रों की प्रावधिक अंकसूची जारी की गई थी। प्रावधिक अंकसूची में परिलक्षित छात्र प्रोफाइल, विषय/माध्यम संबंधी, अर्द्धवार्षिक परीक्षा व प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के संदर्भित पत्रों के माध्यम से शाला प्रभारी, बी.आर.सी.सी. व डीपीसी के लॉगिन अंतर्गत सुविधा प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त परीक्षा संबंधी कार्यो से जुडे हुए राज्य एवं जिले के अमले हेतु बनाए गए व्हाट्स एप समूहों पर भी सतत रूप से त्रुटियों के सुधार के संबंध में जिलों को निर्देशित किया गया था।

उपरोक्तानुसार छात्रों की प्रावधिक अंकसूचियों में परिलक्षित त्रुटियों के सुधार हेतु विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त समय व सुविधा प्रदान की गई थी, किन्तु छात्रों की फाइनल अंकसूचियों में छात्र प्रोफाइल संबंधी सुधार, प्रोजेक्ट व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंकों में संशोधन,परीक्षा में दर्ज त्रुटिपूर्ण उपस्थिति/अनुपस्थिति में संशोधन आदि से संबंधित प्रस्ताव जिलों द्वारा सतत रूप से राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित किए जा रहे हैं। साथ ही छात्र, पालक/अविभावक व शाला के शिक्षकों को अंकसूचियों में सुधार के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र भेजा जा रहा है। जिला स्तर से परीक्षण कर प्रस्ताव राज्य स्तर पर आने एवं आवश्यक समाधान में अधिक समय लगने से विद्यार्थियों का आगामी सत्र प्रभावित होता है। यह स्थिति खेदजनक है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि छात्र प्रोफाइल, प्रोजेक्ट व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, वार्षिक परीक्षा के दौरान उपस्थिति/अनुपस्थिति संबंधी अभिलेख तथा वार्षिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं आदि समस्त दस्तावेज शाला/ जिला स्तर पर ही संधारित किए जाते हैं। अत: अंकसूचियों में दर्ज उपरोक्त त्रुटियों का संशोधन निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन सुनिश्चित करते हुए जिला स्तर पर ही किया जाए-

1. **छात्र प्रोफाइल-** छात्र प्रोफाइल (यथा- छात्र का नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम) में संशोधन हेतु छात्र/ पालक/ अविभावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कर स्कॉलर पंजी व छात्र द्वारा प्रस्तुत वैधानिक दस्तावेजों (जन्म प्रमाण पत्र,आधार कार्ड, समग्र परिवार कार्ड आदि) से सावधानीपूर्वक मिलान व सत्यापन शाला प्रमुख द्वारा किया जाए। सत्यापन पश्चात त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की पुष्टि होने पर शाला प्रमुख द्वारा आवेदन समस्त सत्यापित दस्तावेंजों सहित 03 दिवस में संबंधित बी.आर.सी.सी. को अग्रेषित किया जाए।

1.1 बी.आर.सी.सी द्वारा आवेदन के परीक्षण उपरांत अपने अभिमत सहित प्राप्त आवेदन जिला परियोजना समन्वयक को 03 दिवस में अग्रेषित किया जाए।

1.2 बी.आर.सी.सी. द्वारा उक्तानुसार अग्रेषित आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों से सहमति की स्थिति में जिला परियोजना समन्वयक के लॉगिन पर छात्र प्रोफाइल में संशोधन किये जा सकेंगे।

1.3 छात्र प्रोफाइल में सुधार हेतु प्राप्त आवेदन व प्रस्तुत साक्ष्यों/ दस्तावेजों में विसंगति परिलक्षित होने की स्थिति में जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आवेदन जिला परीक्षा समिति को अग्रेषित किये जाएं एवं समिति के निर्णयानुसार संशोधन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये कार्यवाही पूर्ण की जाये।

2. **प्रोजेक्ट व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक-** प्रोजेक्ट व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों में संशोधन के संबंध में प्राप्त आवेदन का परीक्षण व परीक्षाफल पत्रक से मिलान उपरांत शाला प्रमुख द्वारा आवश्यक अभिलेख संलग्न करते हुये आवेदन 03 दिवस में संबंधित बी.आर.सी.सी. को अग्रेषित किया जाए। बी.आर.सी.सी द्वारा आवेदन के परीक्षण उपरांत अपने अभिमत सहित प्राप्त आवेदन जिला परियोजना समन्वयक को 03 दिवस में अग्रेषित किया जाए।

2.1 उक्तानुसार बी.आर.सी.सी द्वारा अग्रेषित किए गए आवेदनों का जिला स्तर पर संलग्न दस्तावेजों से परीक्षण व सत्यापन उपरांत आवश्यक सुधार संबंधी प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिला परीक्षा समिति के समक्ष 07 दिवस में प्रस्तुत किए जाएं।

2.2 जिला परीक्षा समिति के अनुमोदन उपरांत अंकसूचियों में प्रोजेक्ट व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की परीक्षा पोर्टल पर संशोधित प्रविष्टि जिला शिक्षाधिकारी के लॉगिन अंतर्गत की जा सकेगी।

3. **त्रुटिपूर्ण अनुपस्थिति/उपस्थिति-** परीक्षा के दौरान दर्ज त्रुटिपूर्ण अनुपस्थिति/उपस्थिति में संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन का परीक्षण संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा केन्द्र पर संधारित उपस्थिति पत्रक से करने के उपरांत आवेदन संबंधित बी.आर.सी.सी. को 03 दिवस में अग्रेषित किया जाए। बी.आर.सी.सी द्वारा आवेदन के परीक्षण उपरांत अपने अभिमत सहित प्राप्त आवेदन डी.पी.सी. को 03 दिवस में अग्रेषित किया जाए।

3.1 उक्तानुसार बी.आर.सी.सी द्वारा अग्रेषित किए गए आवेदनों का जिला स्तर पर संलग्न दस्तावेजों से परीक्षण व सत्यापन उपरांत आवश्यक सुधार संबंधी प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिला परीक्षा समिति के समक्ष 07 दिवस में प्रस्तुत किए जाएं।

3.2 परीक्षा पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण अनुपस्थिति/उपस्थिति दर्ज होने की पुष्टि होने पर जिला परीक्षा समिति के अनुमोदन उपरांत परीक्षा पोर्टल पर दर्ज अनुपस्थिति/उपस्थिति में संशोधन की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन अंतर्गत की जा सकेगी।

4. परीक्षा पोर्टल पर छात्र की अनुपस्थिति/उपस्थिति में संशोधन की स्थिति में मूल्यांकन केन्द्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व संशोधित मूल्यांकन पत्रक के आधार पर परीक्षा पोर्टल पर प्राप्तांकों की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन अंतर्गत की जा सकेगी।

5. स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा सत्र 2021-22 2022-23 व 2023-24 हेतु जारी की गई अंकसूचियों में केवल छात्र प्रोफाइल संबंधी त्रुटियों में संशोधन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। छात्र प्रोफाइल संशोधन हेतु कंडिका 1 अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक होगा। इन सत्रों की अंकसूचियों में प्राप्तांकों की प्रविष्टी असंशोधनीय रहेगी।

6. संशोधन उपरांत संबंधित छात्र की पूर्व में जारी मूल अंकसूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने के बाद ही संशोधित अंकसूची जारी की जाए। संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन, संलग्न अभिलेख एवं छात्र की मूल अंकसूची आदि का अभिलेखीकरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाए।

7. उपरोक्तानुसार संशोधन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण की जाये जिससे छात्रों का आगामी शिक्षण सत्र कक्षा में प्रवेश आदि प्रभावित न हो। इस संबंध में जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं व डाइस कोड प्राप्त पंजीकृत मदरसों को सूचित करना सुनिश्चित करें। भविष्य में उपरोक्त संबंध में प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव राज्य शिक्षा केन्द्र को अग्रेषित न किये जाएं एवं छात्र,पालक/अविभावक अथवा संबंधित शाला के स्टॉफ को राज्य शिक्षा केन्द्र नहीं भेजा जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, राशिके

पृ.क्रमांक: 222/2025/RSK/मूल्यांकन/5वी,8वीं परीक्षा भोपाल, दिनांक04-09-2025

1. निज सचिव, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन वल्लभ भवन भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश ।

4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्यप्रदेश।
7. सचिव, मदरसा बोर्ड, भोपाल म.प्र.।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंजायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
9. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
11. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग संबंधित जिले म.प्र.।
12. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले म.प्र.।
13. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले म.प्र.।
14. समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, म.प्र.।
15. बी.आर.सी.सी., समस्त विकासखण्ड म.प्र.।
16. प्रधानाध्यापक, समस्त अशासकीय एवं शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की ओर समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु।
17. परीक्षा पोर्टल प्रभारी, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल म.प्र.।
18. म.प्र. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

Digitally signed by
Harjinder Singh
Date: 04-09-2025
17:47:57